• धोखाधड़ी...

डीसीपी मुंबई बनकर ठगे लाखों

हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के गलोड़ निवासी व्यक्ति से 5.34 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी के मामले को हमीरपुर पुलिस ने पांच दिन में सुलझा दिया है। साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति को पुलिस के माध्यम से यह पैसा वापस मिल गया है। कस्टम में ड्रग और हवाला के पैसों और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता होने का डर दिखाकर यह ठगी 24 जुलाई को की गई थी। ठगी के लिए शातिरों ने ऐसा जाल बुना कि पढ़े-लिखे गलोड़ निवासी बाल चंद राजपूत उनके झांसे में आ गए और अपनी पांच लाख 34 हजार रुपये की एफडी तोड़कर शातिर के खाते में चेक लगा दिया।

इस मामले में जब बाल चंद को ठगी का शक हुआ तो उन्होंने हमीरपुर पुलिस को इस विषय पर सूचित किया। एसपी हमीरपुर भगत सिंह की ओर से यह केस साइबर यूनिट हमीरपुर टीम को सौंपा गया। इस केस को साइबर पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसके तुरंत बाद साइबर यूनिट ने कार्रवाई करते हुए जिस खाते में पैसा डाला गया था, उन्हें फ्रिज कर दिया गया। इन खातों से यह पैसा अन्य खातों में भेज दिया गया था लेकिन पुलिस ने सभी खातों को फ्रिज कर दिया। इसके बाद तीन

दिन की कार्रवाई के भीतर पुलिस ने साइबर पोर्टल की शिकायत की कॉपी कोर्ट में पेश की गई। इसके बाद अदालत से पैसों के रिलीज आर्डर जारी हुए। 1 अगस्त को पुलिस के माध्यम से पीड़ित को बैंक खातों में पैसा वापस आया।

साइबर यूनिट का यह पहला केस, मिली बड़ी सफलता-हमीरपुर पुलिस की साइबर यूनिट के गठन के बाद टीम को यह पहला केस दिया गया था। इस टीम में एएसआई अमी चंद, कांस्टेबल दीपक कुमार और रोहिन शर्मा शामिल रहे। इस यूनिट ने अपने पहले ही केस को पांच दिन में हल कर पैसा वापस पीड़ित को लौटा दिया है।

सभी लोग सतर्कता बरतें- एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने कहा कि साइबर टीम ने अच्छा कार्य किया है। इस तरह के मामलों में सभी लोग सतर्कता बरतें और साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। शिकायतकर्ता बाल चंद राजपूत ने कहा कि पुलिस ने बेहतर ढंग से उनके केस को सुलझाया है। उन्हें ड्रग, हवाला और अंडरवर्ड का खौफ दिखाकर ठगा गया लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उन्हें पैसे वापस मिल गए हैं।

• संपादकीय...

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

हैंडलूम हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है या यों कहें कि पहचान है। पहवाने से लेकर घर की सजावट तक में हैंडलूम को अब खासतौर से शामिल किया जाने लगा है, जिससे इस इंडस्ट्री में रोजगार बढ़ा है और कारीगरों की स्थिति भी सुधर रही है। हैंडलूम उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने के अलावा महिलाओं को आत्म निर्भर बनने का भी मौका देता है। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं, जो खासतौर से अपने हैंडलूम के लिए जाने जाते हैं, जैसे- आंध्र प्रदेश की कलमकारी, गुजरात की बांधनी, तमिलनाडु का कांजीवरम और महाराष्ट्र की पैठनी, मध्य प्रदेश की चंदेरी, बिहार का भागलपुरी सिल्क कुछ ऐसे हैंडलूम हैं, जो भारत ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर हैं। पीएम मोदी ने मनकी बात कार्यक्रम में देश-दुनिया में हैंडलूम के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी भुट्टिको का भी जिक्र किया था। हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और हमारे देश के ग्रामीण और अर्द्ध-ग्रामीण भागों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जो सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण को संबोधित करता है, जिसमें 70 फीसदी से अधिक बुनकर और संबद्ध श्रमिक महिलाएं हैं। 7 अगस्त, 1905 को शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया था। 2015 में, भारत सरकार ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। हथकरघा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा यह दिन बुनकर समुदाय को सम्मानित करने और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को सराहने के मकसद से भी हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह बहुत जरूरी है कि हथकरघा से बनी चीजें देश- विदेश के कोने-कोने तक पहुंचे। इससे भारत को अलग पहचान तो मिलेगी ही साथ ही बुनकर समुदायों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

■ **अनल पत्रवाल**
संपादक, हिमाचल अभी अभी

हिमाचल की एक निजी संस्था उमंग फाउंडेशन के मुखिया अजय श्रीवास्तव ने बाल सुधार गृह में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था।

पत्र में बाल सुधार गृह में किशोरों से अमानवीय व्यवहार करने वाले दोषियों को उपयुक्त सजा देने की मांग की गई थी। पत्र में आरोप लगाया गया है कि यह बाल सुधार गृह की जगह किशोरों के लिए टॉर्चर गृह बन गया है...

बाल सुधार गृह का रिकॉर्ड तलब

● संजू/शिमला

राजधानी शिमला के उपनगर हीरानगर स्थित बाल सुधार गृह किशोरों के लिए टॉर्चर होम बनकर रह गया था। एक निजी संस्था ने बाल सुधार गृह में किशोरों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश पारित किए थे। अदालती आदेश के बाद ही बाल सुधार गृह के अधीक्षक को बर्खास्त किया गया था। अब हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद बाल सुधार गृह का अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक का सारा रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत ने जो रिकॉर्ड तलब किया है, उसमें निरीक्षण रजिस्टर, प्रबंधन रजिस्टर, व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना और मेडिकल रिकॉर्ड शामिल हैं। अदालत ने इसके अलावा संबंधित पार्षद, बाल कल्याण अधिकारी, जिला बाल कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी से संबंधित मामले से जुड़ा रिकॉर्ड भी सुनवाई की अगली तारीख पर पेश करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने यह आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की है।

हिमाचल की एक निजी संस्था उमंग फाउंडेशन के मुखिया अजय श्रीवास्तव ने बाल सुधार गृह में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था. पत्र में बाल सुधार गृह में किशोरों से अमानवीय व्यवहार करने वाले दोषियों को उपयुक्त सजा देने की मांग की गई थी। पत्र में आरोप लगाया गया है कि यह बाल सुधार गृह की जगह किशोरों के लिए टॉर्चर गृह बन गया है।

हालांकि कम उम्र में अपराध को अंजाम देने वाले नाबालिगों को सुधारने के लिए इस बाल सुधार गृह में रखा जाता है. इसमें एक दर्जन से अधिक किशोर रखे गए हैं। पत्र में कहा गया है कि एक किशोर को इस सुधार गृह से 7 मई को रिहा किया गया था जिसने प्रार्थी संस्था के मुखिया को टेलीफोन कर सुधार गृह की भयानक कहानियों के बारे में बताया था। किशोर ने निजी संस्था से वहां रह रहे अन्य किशोरों को बचाने की प्रार्थना की।

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सोलन को भी जुबानी और लिखित शिकायत में उसने अपने साथ हुई मारपीट और यातनाओं के बारे में बताया था। उसने आरोप लगाया है कि उसे और अन्य बच्चों के साथ निजी प्रतिवादी अक्सर मारपीट किया करते थे। उन्हें धमकियां देते थे एक बार तो उसे इतना पीटा गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा।

दो पीड़ित किशोरों ने तो महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शिमला के प्रोग्राम अधिकारी से शिकायत की थी, परंतु आरोपी कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दो किशोरों ने तंग आकर अपनी हाथों को नसें काटकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था।

आरोप है कि किशोरों से दुर्व्यवहार अक्सर अधीक्षक के कक्ष में या ऐसे स्थान पर होता है जहां सीसीटीवी कैमरे की नजर न पड़े। कभी-कभी तो कैमरे बंद भी कर दिए जाते हैं। आरोप है कि किशोरों को पर्याप्त भोजन भी नहीं दिया जाता।

पत्र में रिहा किए गए किशोर द्वारा बताई कहानी के अनुसार अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि डीआईजी और जज से दोस्ती की धमकियां देते हुए किशोरों को अधीक्षक पीटता था साथ ही धमकी देता था कि उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रार्थी ने बाल सुधार गृह हीरा नगर के किशोरों को उत्पीड़न से बचाने और दोषियों को दंडित करने की गुहार लगाई है। कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद अधीक्षक कौशल गुलेरिया को बर्खास्त कर दिया गया था. मामले की सुनवाई अब 5 अगस्त को तय की गई है।

एचआरटीसी ने कमाए 72.39 करोड़

शिमला : घाटे के दौर से गुजर रहे एचआरटीसी ने अपनी कमाई में बढ़ोतरी के लिए कुछ बड़े प्रयास शुरू किए हैं। इसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं, जिससे इसकी हालत में कुछ सुधार हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। हर महीने निगम अपनी आय में बढ़ोतरी कर रही है और जुलाई महीने में भी उसकी आमदनी बढ़ी है। एचआरटीसी ने जुलाई महीने में 72.39 करोड़ की कमाई की है। वर्ष 2023 की तुलना में 58.33 करोड़ यानि 25 प्रतिशत ज्यादा कमाई हुई है। निगम प्रबंधन ने जून महीने की तरह ही जुलाई महीने में भी अपनी कमाई का तुलनात्मक विश्लेषण कर रिपोर्ट जारी की है। जुलाई महीने में अच्छी कमाई होने से निगम प्रबंधन ने पहली तारीख को ही वेतन व पेंशन की अदायगी कर दी है, जबकि पिछले महीने पेंशन 18 तारीख के बाद जारी हो पाई थी। इस बार सरकार की तरफ से ग्रांट भी समय पर मिल गई, जिसके चलते निगम समय पर वेतन व पेंशन की अदायगी कर पाया।

• एक्शन...

19 हजार का चालान

शिमला : राजधानी शिमला में यातायात नियमों की अवहेलना करना सैलानियों को महंगा पड़ा। उत्तराखंड के देहरादून से आए सैलानियों ने वाहन (थार) में अतिरिक्त मोडिफिकेशन की थी। वाहन के फ्रंट साइड में फ्लैग राड लगी थी और पिछली तरफ ब्लैक फिल्म। बोनट के अंदर हूटर मिला। इसके अलावा वाहन में अगले हिस्से में अतिरिक्त एलईडी लगाई गई थी। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने एमवी एक्ट की गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए वाहन का 19 हजार रुपये का चालान काटा। शहर में चल रहे विशेषकर निजी वाहनों में नियमों के उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक मजिस्ट्रेट शिमला की टीम ने यह कार्रवाई की है। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट सोमदेव शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने गुरुवार को संजौली-नवबहार सड़क में नाका लगाया था। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक की गई कार्रवाई के दौरान करीब 305 वाहनों का निरीक्षण किया गया। यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 26 वाहनों के चालान कर 38,500 रुपये जुर्माना लगाया।

• मोदी से मिले जयराम ठाकुर...

■ ***नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश में बुधवार मध्यरात्रि छह जगह बादल फटने से भारी तबाही मची। इस जलप्रलय में अब तक सात लोगों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए हैं, जबकि 46 लापता हैं। इसी बीच, हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी की पूरी जानकारी पीएम मोदी को दी। पीएम मोदी ने त्रासदी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है।***